ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 85-87

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

महिला सशक्तीकरण एवं शिक्षा

कल्याणी मिश्र

शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र विभाग, जे0आर0 दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0), भारत

Received-15.04.2023, Revised-20.04.2023, Accepted-25.04.2023 E-mail: shakil1782@gmail.com

सारांशः ***भारतीय सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो स्त्रियों की स्थिति को पुरूषों के संदर्भ में देखना होगा तथा उसमें संतुलन लाना होगा। स्त्री और पुरूष दोनों समाज के अभिन्न अंग होते हैं। उनमें से किसी एक (स्त्री) का शोषण होगा तो वह समाज खुशहाल तथा सुखी नहीं हो सकता है। इसी सन्दर्भ में नारी सशक्तीकरण की स्थिति का अध्ययन करेगें।***

कुंजीभूत शब्द– महिला सशक्तीकरण, सुविख्यात, महिला कार्यकर्त्ता, भौतिक संसाधनों, नियन्त्रण, पितृसत्ता, विचारधारा, सकारात्मक।

महिला सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेकों मुद्दे शामिल है और इसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है सशक्तीकरण का अर्थ है 'शक्ति देना' या 'शक्ति अर्जित करना' था 'शक्ति की वृद्धि करना' सुविख्यात महिला कार्यकर्त्ता, श्री लता–बाटलीवाला ने महिला सशक्तीकरण की परिभाषा दी है ''महिला सशक्तीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाएँ भौतिक और बौद्धिक संसाधनों के ऊपर अधिक नियन्त्रण प्राप्त करती है और पितृसत्ता की विचारधारा और सभी संस्थाओं एवं समाज की संरचना में महिलाओं के प्रति होने वाले लिंग आधारित भेद–भाव को चुनौती देती है।''[1] सशक्तीकरण, समाज की संरचना विधि में एक व्यापक और योजनाबद्ध परिवर्तन लाता है। इस अर्थ में सशक्तीकरण किसी भी सच्चे विकासात्मक प्रयास का अभिन्न अंग होता है, जिसका चरम उद्देश्य शक्तिहीनों को सशक्त करना है। व्यापक स्तर पर, महिलाओं के सशक्तीकरण का उद्देश्य है स्त्री–पुरूषों के बीच शक्ति के संतुलन में परिवर्तन करना तॉकि समाज में शक्ति का अधिक साम्यिक वितरण किया जा सके। महिला सशक्तीकरण के सूचक वे प्रत्यक्ष परिवर्तन है जो महिलाओं की स्थिति को सकारात्मक वनाते है, उनमें आत्म–सम्मान और आत्म विश्वास की वृद्धि करते हैं, उनके ज्ञान, शिक्षा, कौशलों के स्तर में स्पष्ट रूप से वृद्धि करते हैं। महिलाओं में अपने अधिकारो के प्रति पूरी जागरूकता लाते हैं। वे अपने निर्णय स्वतन्त्र रूप से लेने के योग्य बन जाती हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप महिलाएँ अपने मानव अधिकारों के अतिक्रमण से अपना बचाव करने का और अपने विचारों को व्यक्त करने की योग्यता का विकास कर पाती हैं।

जब भी हम वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, तभी संघर्ष प्रारम्भ हो जाता हैं। इस छोटे से जीवन में भी व्यक्ति को सदा समंजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि सफलतापूर्वक सन्तुलन स्थापित कर लेता है तो ठीक है, अन्यथा जन्म से पूर्व ही वह काल–कवलित हो जाता हैं। प्राचीन काल में शिक्षा और धर्म में अन्तर नहीं था, शिक्षा धर्म का ही एक अंग था। 'विद्यादानम् महादानम्' से भी यह विदित होता है कि पहले विद्या को धार्मिक कृत्य समझा जाता था वहाँ लोग शिक्षा देना पुण्य कार्य समझते थे और शिक्षा का दान–सब दानों में श्रेष्ठ दान कहा जाता था।

पश्चिमी शिक्षा का इतिहास देखने से पता चलता है कि धार्मिक संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान दिया हैं।[2] मध्यकाल में चर्च प्रमुख शैक्षिक अभिकरण हो गया था और मठीय विद्यालय स्थापित हो गये थे। भारत में भी जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो मठों में धार्मिक उपदेशों के साथ–साथ शिक्षा का भी कार्य किया जाता था। इस प्रकार धर्म ने शिक्षा की बड़ी उन्नति की हैं। अतः महिला सशक्तीकरण में शिक्षा का अत्यधिक योगदान हैं। बालिका ही शिक्षित होकर समाज में व्याप्त दुराचार रूपी आँधी को समाज से मिटा सकती हैं। शिक्षा से बालिकाओं में स्वालम्बन, आर्त्म–निर्भरता, निडरता, समायोजन, सामंजस्य एवं एकता की भावना विकसित होती है जो सशक्तीकरण करके समाज में एक नई जागृति ला सकती है। शिक्षा से बालिकाओं में बदलाव आता है, उनमें आत्मसम्मान और आत्म–विश्वास में बृद्धि होती है, जिससे वे अपनी ताकत तथा सामर्थ्य को पहचानती और समझती हैं। उनकी सोच और व्यवहार में विकास होता हैं और समाज में अपने ज्ञान एवं कौशलों को पहचान कर महत्व स्थापति करती हैं।

सशक्तीकरण की आवश्यकताएँ– पहले पचास वर्षो में जो प्रमुख समस्या तेजी से उभरी हैं वह है औरत के जन्म लेने के अधिकार का हनन। पहले नवजात स्त्री–शिशु को मार देने की कुप्रथा से चली यह समस्या अब गर्भ–लिंग परीक्षण और स्त्री–भ्रूण–गर्भपात से भी आगे बढ़कर सन्तानोत्पति के लिए 'पुरूष लिंग' के चुनाव और निर्धारण तक पहुच गई है इसकी पर्याप्त झलक सन् 2001 के जनगणना देते हैं कि 0–6 आयु वर्ग में प्रति हजार पुरूष शिशुओं की तुलना में स्त्री–शिशु संख्या पिछले बीस वर्षो से लगातार घटती हुई, 962 से 927 पर आ पहुँची है।

जन्म लेने के हक का मुद्दा अन्य मुद्दों से भी जुड़ा है जिनमें पहला हैं, दहेज और अत्याचार का। इनकी सख्या और निर्ममता के जो विवरण सामने आ रहे हैं, वे चिन्ताजनक है। इन्हीं के साथ–साथ परित्यक्ता महिलाओं की, आपसी सहमति से तलाक की और पत्नी के होते दूसरी शादी की घटनाओं में बृद्धि हो रही हैं।

परिवार की संकल्पना भारतीय समाज की परिचायक और प्रतिनिधिक मानदण्ड रही हैं। उपरोक्त आंकड़ें धीरे–धीरे उसी के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। यदि अपने ही घर में औरत असुरक्षित, भयग्रस्त या तनाव–ग्रस्त है तो उसके सशक्तीकरण की बात तो बहुत दूर रह जाती है।

इस प्रकार घर के बाहर महिला सुरक्षा का प्रश्न भी चिन्ताजनक बन गया है। देशभर में एक वर्ष में करीब 12,000 बलात्कार की घटनाओं के साथ–साथ अगवा करने की 13000, अन्य यौन प्रताड़ना की 26000 और छेड़छाड़ की 11000 घटनाएँ दर्ज हो रही है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

दर्ज होने वाले इन एक लाख के करीब अपराधों की बाबत पुलिस का मानना है कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते महिलाओं के विरुद्ध घटने बाले अपराधों में से केवल दस से पच्चीस प्रतिशत ही दर्ज हो पाते हैं। जो होते है, उनकी छान–बीन, अदालतों में पेशी और सुनबाई प्रक्रिया में विलम्ब है और इतनी त्रासदी है कि वह अपने आप में एक अत्याचार बन जाता है। अपराध की शिकार महिला इन त्रासदियों को झेल भी ले तो भी केवल 15 प्रतिशत अपराधियों को सजा मिल पाती है और शेष महिलाओं को न्याय से बंचित ही रहना पड़ता है।[3]

व्यक्तिगत अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर सामूहिक और संगठित अपराधों की भी महिलायें शिकार बन रही है। सामूहिक बलात्कार, छोटी बच्चियों का यौन शोषण, उन्हें वेश्यावृति में लगाना, संगठित गिरोहों द्वारा स्त्रियों को देह व्यापार के लिए खरीद–बेच, साथ ही दामिनी दिल्ली काण्ड जैसी जघन्य घटनाएँ बढ़ती जा रही है।

सशक्तीकरण के सुझाव– यदि महिला सशक्तीकरण की पहली कसौटी निर्भयता है तो इसे पाने के लिए बालिका शिक्षा को सूदृढ करना होगा जो शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है। सशक्तीकरण में शिक्षा का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है – 'सा विद्या या विमुक्तये'। इसी कसौटी पर आज शिक्षा प्रणाली पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। नई प्रणाली को हुनर–शिक्षा और आर्थिक उत्पादनशीलता के लिए अभिमुख होना पड़ेगा। वह शिक्षा ऐसी हो जिसमें चरित्र निर्माण हो–जहाँ ईमानदारी, कार्य कुशलता, न्यायपरायणता और देश भक्ति जैसे मूल्यों को तेजस्वी व प्रखर बनाया जाए, वह ज्ञान की लालसा तथा देशभ्रमण की उत्सुकता उत्पन्न करें, वह बालिकाओं में जिज्ञासा भर दे। ऐसी शिक्षा सहजता से उपलब्ध हो, यह आज की प्रमुख आवश्यकता है।

"शिक्षा द्वारा बालिकाएँ पुरूषों की बराबरी में मतदान करने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार जान पायेगी। इसके अतिरिक्त संविधान संशोधन, सत्ता के विकेन्द्रीकरण, महिला आरक्षण, ग्रामीण विकास, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक–आर्थिक विकास करके अपनी पात्रता सिद्ध कर सकती है और समाज में व्याप्त भष्टाचार को मिटा सकती है।"[4]

दूसरा प्रश्न हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े बालिकाओं को शिक्षा का समुचित व्यवस्था न प्राप्त होने पर ये बालिकाओं पर दोहरी मार पड़ती हैं, पहला पिछड़ेपन का तथा दूसरा बालिका होने का। अशिक्षित बालिकाएँ सारा दिन अकुशल, मेहनती काम करने और कम मजदूरी के बाद घर लौटी औरतों को अपने पति के शराब की जरूरतों के लिए मारपीट सहनी पड़ती है। कभी ऊँची जाति वालों के सामूहिक क्रोध का शिकार भी होना पड़ता है।

शिक्षा द्वारा जैसे–जैसे बालिकाओं में चेतना बढ़ेगी बालिकाएँ अपने हक के लिए आग्रह करेगी और पुरूष मानसिकता के एकांकी विशेष क्षेत्र में प्रवेश कर चेतना प्रकट कर अपने अधिकार एवं कर्त्तव्य के लिए जागृत होगी। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा–पत्र में मौलिक मानवाधिकार मनुष्य की गरिमा एवं महत्व, स्त्री–पुरूष और छोट–बड़े राष्ट्र के समान अधिकारों में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया हैं। सार्वभौमिक घोषणाएँ की गई जो स्वतन्त्रता को सर्वोच्च महत्व देते हैं। हाल ही में मानवता के लिए खतरा बनी कुछ नई समस्याओं और मुद्दों के सन्दर्भ में कई अन्य मानवाधिकार उभरे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के समझौते को स्वीकार किया और यह 3 सितम्बर 1981 से लागू हो गया। इसके साथ–साथ लगभग अधिकांश राष्ट्र भी महिलाओं की स्मिता की रक्षा एवं संमग्र विकास सम्बन्धी योजनाएँ एवं कानून बनाएँ है। इन सभी की जानकारी शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए, जिससे महिला सशक्तीकरण किया जा सके।5 विभिन्न योजना दस्तावेजों में महिला–केन्द्रित और महिलाओं से सम्बद्ध नीतियों के अलावा सरकार ऐसा वातावरण बना रही है, जिसमें महिलाओं के प्रति चिन्ता प्रकट होती है।

वर्ष 1976 में स्वीकार की गई 'महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना' 1988 तक महिलाओं के विकास के एक मार्गदर्शी दस्तावेज के रूप में काम आई। इसी वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना का (1988–2000) प्रारूप तैयार किया गया। यह एक दीर्घावधि योजना दस्तोवज था और इसमें महिलाओं के विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया। जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सभी में महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य शामिल किये गये। परन्तु उपरोक्त नीतियों की जानकारी महिलाओं/बालिकाओं को अपर्याप्त हो पाती हैं उक्त नीतियों एवं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को शिक्षा के माध्यम से प्रभावी ढंग से होनी चाहिए। चाहे इसके लिए पाठ्यक्रम निर्मित किये जाय या प्रत्येक विद्यालय अतिरिक्त कालखण्ड निर्मित कर लागू किये जाए, तभी महिलाओं के सशक्तीकरण की कल्पना की जा सकती है।

भारत के प्रथम प्राचीन संविधान निर्माता राजर्षि मनु का यह वाक्य–"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" पूर्व में जितना प्रासंगिक रहा होगा आज उससे करोड़ों गुना अधिक प्रासंगिक हो चुका है। आज की चकाचौंध जहाँ भौतिकवाद के आकर्षण में विलासता को ही प्रमुख मान कर मानवता के सभी आदर्शो और मूल्यों को ताक में रखकर कदाचरणों की सीमा पार कर चुकी है। इस समय बालिका शिक्षा इस प्रवाह को रोकने में एक अहं भूमिका निभा सकती है।[6] जबकि भारत ने सृष्टि के प्रारम्भ से महिला सशक्तीकरण का पूर्व पक्ष लिया और वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यन्त सम्पूर्ण वांग्मय में अनेक स्थलों पर समर्थन भी किया और नारी को ही सम्पूर्ण शक्तियों का स्त्रोत कहा – **"या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता" भारतीय संस्कृति ने नारी को महिला कहकर सम्मानित किया, "महियते पूज्यते या सा महिला"**

यहाँ तक कि आदि कवि बाल्मीकि ने रामायण को "सीता चरित" कहकर गौरवान्वित किया। अन्ततः आज के समाज को चाहिए कि भावी सन्तान एवं वर्तमान संतति को स्वस्थ्य, संस्कृति, सभ्य, चारित्रिक, राष्ट्रभक्त बनाने की दृष्टि से बालिका की शिक्षित करें और

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

समाज, राष्ट्र, विश्व नारी को नारायणी मान कर विश्व की वास्तविक समर्चा करें।'

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बाघवा, डॉ. एस. – समाजशास्त्र– अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 2010, पृ0 05.
2. अग्रवाल, डॉ. जी. के. – भारतीय समाज तथा संस्कृति, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा, 2008, पृ0 261.
3. सिंह, डॉ. सविता, भारत में स्त्री शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, 2010, पृ0 54.
4. अग्निहोत्री, डॉ. रविन्द्र, आधुनिक भारतीय शिक्षा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994, पृ0 – 235.
5. शुक्ला, डॉ. मंजु, महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2001, पृ0 219.
6. पाण्डेय, एवं पाण्डेय, तेजस्कर, ओजस्कर, समजाकार्य, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृ0 – 65.
7. शर्मा, डॉ. वीरेन्द्र प्रकाश, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2009, पृ0 267.

*****